

न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र

आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा द्वारा बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के कुटुमसर परिक्षेत्र के अन्तर्गत कि.मी. 25.530 से 31.540 = 6.010 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-30 जगदलपुर-सुकमा-कोन्टा मार्ग के चौड़ीकरण हेतु आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-89 रकबा 2.206 हे., कक्ष क्रमांक-90 रकबा 2.119 हे., कक्ष क्रमांक-164 रकबा 1.991 हे., कक्ष क्रमांक-165 रकबा 1.990 हे., 8.386 हे. आवश्यकता है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।

उक्त परियोजना स्थल विशेष परियोजना है, उक्त परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30, जगदलपुर -सुकमा-कोन्टा मार्ग पर स्थित है। उक्त परियोजना के परिप्रेक्ष्य में अन्य विकल्पों का पता लगाया गया है, किन्तु कोई भी विकल्प उचित नहीं पाया गया है।

उक्त परियोजना स्थापना से ग्रामीणों एवं अन्य को आवाजाही में सुविधा एवं खनिजों का परिवहन होगा तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभ होगा। वन भूमि व्यपवर्तन की मांग न्यूनतम है। स्थल परिवर्तन संभव नहीं है।


कार्यपालन अभियंता,

राष्ट्रीय राजमार्ग
संभाग सुकमा


निदेशक,

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर (छ.ग.)